सिविल विविध

आर. एस. नरूला न्यायमूर्ति के समक्ष जे

लाभसिंह - *याचिकाकर्ता, बनाम* संभागीय आयुक्त, अंबाला डिवीजन, अंबाला, - *प्रतिवादी।* 1971 की सिविल रिट संख्या 1741

19 जुलाई, 1971

शस्त्र अधिनियम (1959 का एलआईएक्स) - धारा 17 - जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र लाइसेंस रद्द करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना - लाइसेंसधारक को व्यक्तिगत सुनवाई - यदि आवश्यक हो - लाइसेंस को निलंबित या रद्द करते समय ऐसा मजिस्ट्रेट - क्या न्यायिक रूप से कार्य करता है - निरस्तीकरण का आदेश - क्या प्राधिकरण की संतुष्टि व्यक्त करने के लिए एक विशेष वाक्यांश को अपनाना चाहिए - इसकी सामग्री को बताए बिना लाइसेंसधारक के खिलाफ एकपक्षीय रिपोर्ट का उपयोग करना - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत - चाहे उल्लंघन किया गया हो -लाइसेंस प्राप्त हाथ के उपयोग से संबंधित लाइसेंसधारक के खिलाफ लंबित आपराधिक मामला - लाइसेंस निलंबित और कब्जे में लिया गया हथियार - लाइसेंस रद्द करना - क्या आपराधिक मामले के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए,

माना कि कानून को हर मामले में व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि सक्षम प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह लाइसेंसधारक को यह बताने का पर्याप्त अवसर दे कि शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17 के तहत आदेश पारित करने से पहले उसका शस्त्र लाइसेंस रद्द क्यों न कर दिया जाए, तथापि यह आवश्यक रूप से व्यक्तिगत सुनवाई की परिकल्पना नहीं करता है। इस प्रकार, लाइसेंसधारक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद लाइसेंस रद्द करने के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसे कोई व्यक्तिगत सुनवाई नहीं की गई थी, भले ही उसने इसके लिए कहा हो।

और रूप कि लाइसेंस रद्द करने का आदेश अपील योग्य है। अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) सक्षम प्राधिकारी को लाइसेंस निलंबित करने या रद्द करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने और लाइसेंस धारक को मांगने पर इसका एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने का कर्तव्य देती है, सिवाय उन विशेष मामलों के जहां लाइसेंसिंग प्राधिकारी की राय है कि इस तरह का विवरण प्रस्तुत करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। धारा 17 की योजना और दायरे से, यह स्पष्ट है कि कानून न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए लाइसेंस रद्द करने वाले प्राधिकरण पर एक कर्तव्य डालता है। सार्वजनिक शांति के हित में शस्त्र अधिनियम में निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन बंदूक प्राप्त करने और रखने का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। इस तरह के अधिकार को प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप पारित किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 17 (3) (बी) के तहत किसी आदेश की वैधता को बनाए रखने के लिए, सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा की सुरक्षा के लिए लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने के बारे में सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि व्यक्त करने के लिए किसी भी जादू के आक्षेप से चिपके रहना या किसी विशेष वाक्यांश या भाषा को अपनाना आवश्यक नहीं है। यदि एक सक्षम है

प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि कोई विशेष लाइसेंसधारक लाइसेंस रखने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है क्योंकि वह लाइसेंस प्राप्त हाथ का दुरुपयोग करके खतरनाक अपराध करने की संभावना रखता है और आदेश में पर्याप्त तथ्य निर्धारित किए गए हैं जो किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में इस तरह के निष्कर्ष को सही ठहराते हैं, आदेश केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि धारा 17 (3) (बी) की भाषा को दोहराया नहीं गया है। अभिनिर्धारित किया कि जहां लाइसेंस रद्द करते समय सक्षम प्राधिकारी लाइसेंसधारक के खिलाफ उसके द्वारा प्राप्त एकपक्षीय रिपोर्टों पर निर्भर करता है और रिपोर्टों की सामग्री को लाइसेंसधारक को प्रकट नहीं किया जाता है, तो रद्द करने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत माना जाता है, क्योंकि निर्णय लाइसेंसधारक को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना प्रदान किया जाता है जो निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनिवार्य है। (पैरा 8)

अभिनिर्धारित किया कि यह कानून के मामले के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि लाइसेंसधारक द्वारा हथियार के उपयोग से संबंधित आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान बंदूक लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता है। बंदूक लाइसेंस रद्द करने से सभी मामलों में आपराधिक मामले का पूर्व-निर्धारण नहीं होता है। लेकिन जहां लाइसेंसधारी के खिलाफ लाइसेंसी आर्म के इस्तेमाल से संबंधित आपराधिक मामला लंबित है, उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है और उससे आर्म का कब्जा ले लिया जाता है, तो बेहतर होगा कि जिला मजिस्ट्रेट लाइसेंस रद्द करने से पहले मामले के फैसले का इंतजार करें। लाइसेंसधारक के हथियार ले लिए गए हैं, वह संभवतः तब तक उसका उपयोग नहीं कर सकता है जब तक कि उसे बहाल नहीं किया जाता है। उसका लाइसेंस निलंबित होने के बाद, वह दूसरा हाथ हासिल नहीं कर सकता है। आपराधिक मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय के पास अभियुक्त के हथियार लाइसेंस को रद्द करने का निर्देश देने का अधिकार भी है, यदि वह शस्त्र अधिनियम, या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी अपराध का दोषी पाया जाता है। इसलिए आपराधिक मामले का फैसला आने तक लाइसेंस रद्द न होने से सार्वजनिक शांति खतरे में नहीं पड़ेगी। (पैरा 10)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि 5 जनवरी, 1971 के आदेश को रद्द करते हुए परमादेश, प्रमाणपत्र, या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए / 1. जिला मेजिस्ट्रेट, करनाल के आदेश की पुष्टि करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1000 2, दिनांक 4 जुलाई, 1970, याचिकाकर्ता के शस्त्र लाइसेंस को रद्द करना।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुंदर लाल अहलूवालिया। नौबत सिंह, जिला अटॉर्नी, हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

नरूला, न्यायमूर्ति :-करनाल के जिला मजिस्ट्रेट के 4 जुलाई, 1970 के आदेश (अनुलग्नक 'ए'), जिसमें शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) के तहत याचिकाकर्ता के बंदूक लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है, इस याचिका में याचिकाकर्ता लाभ सिंह द्वारा लागू किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत विभिन्न आधारों पर, जिनके लिए प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में निर्धारित करने के बाद संदर्भ दिया जाएगा।

(दो) 24 अक्तूबर, 1969 को करनाल जिले के थाना थास्का मिरंजी के ग्राम चनार हेड़ी में हुई एक घटना के संबंध में उस घटना का प्रतिद्वंदी संस्करण पुलिस को दो दिन बाद अर्थात 26 अक्तूबर, 1969 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध पहली बार इस आशय का आरोप लगाया गया कि उसने उक्त घटना के दौरान अपनी बंदूक चलाई थी। हालांकि बंदूक की फायरिंग को मूल रूप से झाबरा आदि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और हालांकि यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता का नाम मूल रूप से घटना के संबंध में दर्ज की गई दैनिक डायरी रिपोर्ट में भी नहीं था, पुलिस ने मामले की जांच के दौरान याचिकाकर्ता की बंदूक को अपने कब्जे में ले लिया। इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि बंदूक अभी भी राज्य की हिरासत में है, और उपर्युक्त घटना के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला अभी भी लंबित है।

(तीन) 9 जनवरी, 1970 को जारी एक कारण बताओ नोटिस। करनाल के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश याचिकाकर्ता को 21 फरवरी. 1970 को या उसके आसपास दिया गया था। उस नोटिस में यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के साथ धारा 34 और धारा 307 के तहत गिरफ्तार किया गया था और चालान किया गया था, लेकिन उसने अपने विपरीत पक्ष के खिलाफ उपरोक्त मामले में अपनी बंदूक का दुरुपयोग किया था, और इसलिए, हथियार लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य था। याचिकाकर्ता को लाइसेंस के प्रस्तावित निरस्तीकरण के खिलाफ कारण बताने के अलावा, जिला मजिस्ट्रेट ने अधिनियम की धारा 17 के तहत याचिकाकर्ता के हथियार लाइसेंस को निलंबित कर दिया। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 22 जुलाई, 1970 को संभागीय आयुक्त को उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत की थी. और उसी दिन किसी और ने उसी आदेश के खिलाफ अपील करना पसंद किया था। जबिक कहा जाता है कि दूसरे व्यक्ति द्वारा पसंद की गई अपील उसे वापस कर दी गई है क्योंकि यह अपील के तहत आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ नहीं थी, याचिकाकर्ता द्वारा कथित तौर पर प्रस्तुत अपील के ज्ञापन का पता नहीं लगाया गया है। किसी भी मामले में उनके द्वारा 27 नवंबर, 1970 को एक नई अपील दायर की गई थी, जिसे आयुक्त, अंबाला डिवीजन के 5 जनवरी, 1971 के आदेश (अनुबंध 'बी') द्वारा खारिज कर दिया गया था, इस आधार पर कि इसे समय से रोक दिया गया था। इसलिए, जिस प्रभावी आदेश की वैधता पर सवाल उठाया गया है, वह जिला मजिस्ट्रेट का है, हालांकि। समय पर अपील पर रोक लगाए जाने के कारण गुण-दोष में जाए बिना आयुक्त द्वारा इसे बरकरार रखा गया था।

(चार) राज्य की वापसी में यह स्वीकार किया गया है कि घटना के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया था कि जीरा आदि हथियारों से लैस थे और उन्होंने शिकायतकर्ता के दल पर गोली चलाई थी, लेकिन "घटना का दूसरा संस्करण श्री मालदेव सिंह द्वारा 2'6 अक्टूबर, 1969 को दिया गया था," जो रिट याचिका के पैराग्राफ 2 में कहा गया है। जिसके अनुसार याचिकाकर्ता पर आरोप था कि उसने अपने घर की छत से अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई थी। यह भी स्वीकार किया गया है कि पुलिस ने याचिकाकर्ता की लाइसेंसी बंदूक को कब्जे में ले लिया था और दोनों पक्षों का पुलिस द्वारा चालान कर दिया गया है और वे मामले अभी भी अदालत में लंबित हैं।

याचिकाकर्ता के वकील सुंदर लाल अहलूवालिया द्वारा (पाँच) दी गई पहली दलील यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कहा गया है और जिला मजिस्ट्रेट ने लिखित में ऐसा अनुरोध किए जाने के बावजूद इसे वहन नहीं किया है, यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। कानून को हर मामले में व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मेरी राय में सक्षम प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी लाइसेंसधारक को कारण बताने का पर्याप्त अवसर दे कि अधिनियम की धारा 17 के तहत आदेश पारित करने से पहले उसका शस्त्र लाइसेंस रद्द क्यों न कर दिया जाए, लेकिन यह आवश्यक रूप से व्यक्तिगत सुनवाई की परिकल्पना नहीं करता है। इस प्रकार के मामले में जहां बंदूक का लाइसेंस पहले ही निलंबित कर दिया गया था और बंदूक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था, शायद याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई की संतुष्टि देना बेहतर हो सकता था, लेकिन यह कोई आधार नहीं है जिस पर आक्षेपित आदेश को रद्द किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का विस्तृत जवाब दिया था और अब भी वकील ने ऐसा नहीं किया है। वह यह बताने में सक्षम थे कि अगर व्यक्तिगत सुनवाई की गई होती तो वह मामले पर विचार के समय जिला मजिस्ट्रेट के ध्यान में और क्या ला सकते थे।

(छियासठ) राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री नौबत सिंह ने किशोर सिंह बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है। राजस्थान राज्य और दूसरा (1), जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि शस्त्र अधिनियम, 1878 की धारा 18 (ए) के तहत लाइसेंस रद्द करने वाले प्राधिकरण पर न्यायिक रूप से कार्य करने का कोई कर्तव्य नहीं डाला गया था, क्योंकि उस प्रावधान के तहत आदेश केवल एक था। आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(1973)2

_(एक)ए.आई.आर. 1954 राजस्थान 264.

प्रशासनिक या कार्यकारी एक और न तो अपील या संशोधन के लिए खुला था, और यहां तक कि प्रमाण पत्र की रिट द्वारा समीक्षा के लिए भी खुला नहीं था। उस मामले का फैसला 1878 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1959 के अधिनियम के प्रावधान पुराने अधिनियम से भौतिक रूप से भिन्न हैं। लाइसेंस रद्द करने का आदेश अब अपील योग्य है। अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (51) सक्षम प्राधिकारी को लाइसेंस निलंबित करने या रद्द करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने और लाइसेंस धारक को मांगने पर इसका एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने का कर्तव्य देती है, सिवाय उन विशेष मामलों के जहां लाइसेंसिंग प्राधिकारी की राय है कि इस तरह का विवरण प्रस्तुत करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। मेरे सामने जो मामला है, वह निश्चित रूप से उस अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है। अधिनियम की धारा 17 की योजना और कार्यक्षेत्र पुराने अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों से भौतिक रूप से भिन्न हैं। अत्,

में श्री नौबत सिंह की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वर्तमान कानून न्यायिक रूप से कार्य करने के लाइसेंस को रद्द करने वाले प्राधिकारी पर कोई कर्तव्य नहीं डालता है। सार्वजनिक शांति के हित में शस्त्र अधिनियम में निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन बंदूक प्राप्त करने और रखने का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। इस तरह के अधिकार को प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप पारित किया जा सकता है। पुराने प्रावधान के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को वर्तमान अधिनियम के संबंधित प्रावधानों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

(सात) यह कानून की धारा 17 (3) (बी) के तहत लाइसेंस रद्द किया गया है, जो लाइसेंसिंग प्राधिकरण को हथियार लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने के लिए अधिकृत करता है, अगर लाइसेंसिंग प्राधिकरण सार्वजनिक शांति की सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए

आवश्यक समझता है। वकील ने प्रस्तुत किया कि इस आशय का केवल एक बयान कि एक लाइसेंसधारी "एक उपयुक्त व्यक्ति नहीं है और अपनी बंदूक का दुरुपयोग करके खतरनाक अपराध कर सकता है" (याचिकाकर्ता के लाइसेंस को रद्द करने के लिए आक्षेपित आदेश में दिया गया एकमात्र कारण) धारा 17 (3) (बी) के चार कोनों के भीतर नहीं आता है। अहलूवालिया के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से यह कहना चाहिए था कि वह इस बात से संतुष्ट थे कि "सार्वजनिक शांति की सुरक्षा के लिए आवश्यक था" या याचिकाकर्ता के लाइसेंस को रद्द करना "सार्वजनिक सुरक्षा के लिए" आवश्यक था। यह तर्क मुझे कुछ दूर की बात प्रतीत होता है। अधिनियम की धारा 17 (3) (बी) के तहत एक आदेश की वैधता को बनाए रखने के लिए, मेरी राय में किसी भी जादू के आक्षेप से चिपके रहना, या किसी विशेष वाक्यांश या भाषा को अपनाना आवश्यक नहीं है! किसी को निलंबित करने या रद्द करने के लिए आवश्यक होने के

बारे में सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि व्यक्त करना

सार्वजिनक शांति या सार्वजिनक सुरक्षा की सुरक्षा के लिए लाइसेंस। यदि कोई सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कोई विशेष लाइसेंसधारक लाइसेंस रखने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है क्योंकि वह लाइसेंसी बंदूक का दुरुपयोग करके खतरनाक अपराध करने की संभावना रखता है और आदेश में पर्याप्त तथ्य निर्धारित किए गए हैं जो किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में इस तरह के निष्कर्ष को सही ठहराते हैं, तो आदेश केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि धारा 17 (3) (बी) की भाषा को उसमें दोहराया नहीं गया है।

(आठ) फिर वहाँ हो, हालांकि,; श्री अहलुवालिया जी के तीसरे संस्करण में यह बात कही गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता ने अपने स्पष्टीकरण में उन आरोपों से इनकार किया था, जिन पर लंबित आपराधिक मामलों में उन पर मुकदमा चलाया गया था, और "करनाल के पुलिस अधीक्षक की

टिप्पणियां उस पर (याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण पर) प्राप्त की गई थीं। तत्पश्चात् करनाल के पुलिस अधीक्षक की टिप्पणियों का संदर्भ दिया जाता है। जिसके अनुसार याचिकाकर्ता ने जोगिंदर सिंह और मोहिंदर सिंह को अपनी बंदूक से घायल कर दिया था, और इस तरह अपने लाइसेंसी फायर-आर्म का दुरुपयोग किया था। श्री अहलुवालिया ने आक्षेपित आदेश के उपर्युक्त भाग के खिलाफ त्रिआयामी हमला किया है, जिसके आधार पर अकेले याचिकाकर्ता का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सबसे पहले, उन्होंने कहा है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक की टिप्पणी मांगी थी, तो उन्हें उस पर कोई भरोसा करने से पहले याचिकाकर्ता को विश्वास में लेना चाहिए था, ताकि याचिकाकर्ता यह दिखा सके कि या तो पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट सही नहीं थी, या लाइसेंस रद्द करने का आदेश उस पर आधारित नहीं हो सकता है। वकील ने इस बात पर जोर दिया है कि लागू आदेश में इसका उल्लेख करने से पहले याचिकाकर्ता को

इसकी सामग्री बताए बिना याचिकाकर्ता के हित के खिलाफ एकतरफा रिपोर्ट की सामग्री का उपयोग करना पूरी तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, और अपने आप में आदेश अनुलग्नक 'ए' को खराब करने के लिए पर्याप्त है। ब्रजलाल मणिलाल एंड कंपनी में। बहुत। भारत संघ और अन्य (2) यह माना गया था कि केंद्र सरकार खनिज रियायत नियम, 1949 के तहत एक समीक्षा याचिका का निपटान करने के दौरान उस सामग्री के आधार पर कार्य नहीं कर सकती है जिसके संबंध में समीक्षा के लिए आवेदन करने वाले पक्ष को अपना प्रतिनिधित्व करने का कोई अवसर नहीं था। उस मामले में, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार (जिसने मूल आदेश पारित किया था) से एक रिपोर्ट प्राप्त की थी, जिसमें रिपोर्ट ने केंद्र सरकार को एक आधार प्रदान किया था जिसके आधार पर राज्य सरकार के आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डिशिप ने माना कि केंद्र सरकार का

आदेश

ह्ये ए.जे.आर. 1964 एस.सी. 1643.

राज्य सरकार के निर्णय को बरकरार रखना और पुनर्विचार याचिका को खारिज करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत था, जिसमें पुनर्विचार याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना निर्णय दिया गया था, जो निष्पक्ष सुनवाई का एक अनिवार्य मामला था । ब्रजलाल मणिलाल एंड कंपनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून। (2) (सुप्रा) मुझे वर्तमान मामले के तथ्यों पर और भी अधिक बलपूर्वक लागू करने के लिए प्रतीत होता है। जबिक केन्द्र सरकार ब्रजलाल मणिलाल एंड कंपनी के मामले में केवल पुनर्विचार याचिका पर विचार कर रही थी।(2) जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि तत्काल मामला पहली बार याचिकाकर्ता के लाइसेंस के निरसन के सवाल पर फैसला करने के लिए मूल प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा था। आदेश से ही पता चलता है कि वह मुख्य रूप से, यदि पूरी

तरह से नहीं, तो पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट से प्रभावित थे। आक्षेपित आदेश उस छोटे से आधार पर रद्द किया जा सकता है।

(नौ) श्री अहलूवालिया की तीसरी दलील की दूसरी शाखा यह है कि ऐसा लगता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता द्वारा लाए गए बिंदुओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया है, सिवाय इसके कि उन्होंने प्रतिद्वंद्वी आपराधिक मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया था। संबंधित कार्यवाही का मूल रिकॉर्ड मुझे विद्वान राज्य वकील द्वारा दिखाया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के जवाब में, उन्होंने विशेष रूप से कम से कम तीन बिंदु दिए थे जिन पर विचार करने की आवश्यकता थी। उन्होंने दलील दी थी कि यह सवाल कि उन्होंने अपनी बंदूक का इस्तेमाल किया था या नहीं, या घटना में भाग लिया था , एक आपराधिक अदालत में विचाराधीन है, और उनके लाइसेंस को रद्द करने के सवाल पर विचार आपराधिक मामले का फैसला आने तक स्थिगत कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने घटना के बारे में अपने बयान का उल्लेख किया था और कहा था कि मूल कार्यवाही में उनके नाम का उल्लेख भी नहीं किया गया था और पहली रिपोर्ट दर्ज होने के एक या दो दिन बाद ही उन्हें मामले के अंतिम चरण में झूठा फंसाया गया था। तीसरा, उन्होंने बताया है कि बंदूक का कब्जा उनसे पहले ही ले लिया गया था। और उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि आपराधिक मामले के निपटारे तक बंदूक के दुरुपयोग की किसी भी संभावना का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इनमें से किसी भी विवाद का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था।

(दस) इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में मुझे श्री अहलुवालिया के इस तर्क में बल मिलता है कि जिला मजिस्ट्रेट की यह दलील सही नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने समक्ष मौजूद मामले पर गंभीरता से विचार किया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने केवल पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर ही यह आदेश पारित किया है। यदि उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों पर अपना दिमाग लगाया होता, तो वह गंभीरता से विचार करते कि उस स्तर पर याचिकाकर्ता के लाइसेंस के निरसन के संबंध में अंतिम आदेश पारित करना आवश्यक था या नहीं। यह कानून के मामले के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान बंदूक लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता है, न ही मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि बंदूक लाइसेंस रद्द करने से सभी मामलों में आपराधिक मामले का पूर्व-निर्धारण होगा। लेकिन वर्तमान मामले के तथ्यों पर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की बंदूक पुलिस द्वारा ले ली गई है, वह संभवतः खुद उसका उपयोग नहीं कर सकता

⁽³⁾ ए.आई.आर. 1960 ए.पी. 420.

था जब तक कि उसे बहाल नहीं किया जाता है। उसका लाइसेंस निलंबित होने के कारण, वह एक और बंदूक भी हासिल नहीं कर सका। आपराधिक मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय के पास अभियुक्त के हथियार लाइसेंस को रद्द करने का निर्देश देने का अधिकार भी है, यदि वह शस्त्र अधिनियम, या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी अपराध का दोषी पाया जाता है। यदि जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में याचिकाकर्ता की दलील ों पर विचार किया होता और आपराधिक मामले के निपटारे तक निर्णय को स्थगित नहीं करने के लिए कुछ स्पष्टीकरण दिया होता, भले ही बहुत मजबूत न हो, तो ऐसा प्रतीत होता कि जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले पर अपना विचार व्यक्त किया था। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस मामले को बहुत ही लापरवाह तरीके से निपटाया है। काक्क्र वेंकटरमैया बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य (3) में यह व्यवस्था

⁽³⁾ ए.आई.आर. 1960 ए.पी. 420.

दी गई है कि लाइसेंस रद्द करने के आदेश में कम से कम प्रथम दृष्ट्या यह दर्शाया जाना चाहिए कि लाइसेंसधारक द्वारा बंदूक रखने से सार्वजनिक शांति को किस प्रकार खतरा होगा, क्योंकि केवल ऐसे कारणों से ही लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी रहेगा। वर्तमान मामले में जब बंदूक याचिकाकर्ता के कब्जे में नहीं थी, और उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था, तो जिला मजिस्ट्रेट के लिए प्रथम दृष्ट्या यह दिखाना भी असंभव होगा कि उसका लाइसेंस रद्द न करने से सार्वजनिक शांति कैसे खतरे में पड़ जाएगी। इसी मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा आगे कहा गया था कि जहां एक क़ानून कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्धारित करता है, उन्हें प्रशासनिक एजेंसी द्वारा विषय के पूर्वाग्रह के प्रति अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लाइसेंस प्राप्त हथियार रखने के लिए एक हथियार लाइसेंसधारी के मौलिक अधिकार में

⁽³⁾ ए.आई.आर. 1960 ए.पी. 420.

मनमाने ढंग से या मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता के पास उस अतिरिक्त आधार पर आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप के लिए एक अच्छा मामला प्रतीत होता है। (ग्यारह) श्री अहलुवालिया का अंतिम निवेदन पूरी तरह से गलत है। उनका कहना है कि श्री एच. वी. गोस्वामी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद, बंदूक लाइसेंस रद्द करने का आदेश उनके उत्तराधिकारी श्री आरएन सिंह द्वारा कानूनी रूप से पारित नहीं किया जा सकता था, जो केवल एक कार्यवाहक जिला मजिस्ट्रेट थे। मुझे इस तर्क में जो कुछ भी है, उसे खोजने में असमर्थ हूं।

(बारह) मैंने राज्य के विद्वान वकील से पूछा कि क्या वह दिखा सकते हैं कि शांति या सार्वजनिक शांति के कारण के लिए कोई संभावित पूर्वाग्रह तब होता जब याचिकाकर्ता के बंदूक लाइसेंस के निरसन के सवाल का निर्णय याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले के अंतिम निपटान तक टाल दिया जाता, जबिक लाइसेंस पहले ही निलंबित कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को अस्थायी

रूप से उसकी बंदूक से वंचित कर दिया गया था। वह इस तरह के किसी भी पूर्वाग्रह का उल्लेख करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए, यह एक ऐसा मामला नहीं है जहां लाइसेंस रद्द करने के आदेश को केवल तकनीकी आधार पर रद्द किया जा रहा है। मुझे लगता है कि यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है और उस आदेश को रद्द करना किसी भी तरह से सार्वजिनक शांति या सार्वजिनक शांति को प्रभावित नहीं कर सकता है।

(तेरह) इसलिए, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और जिला मजिस्ट्रेट के आक्षेपित आदेश (अनुबंध 'ए') को रद्द करता हूं। अपीलीय आदेश (अनुबंध 'बी') मूल आदेश को रद्द करने के बाद क्षेत्र को पकड़ नहीं सकता है और इसलिए, इसके साथ आना चाहिए। (चौदह) इस फैसले में कही गई किसी भी बात को आपराधिक मामले के फैसले के बाद याचिकाकर्ता के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने के सवाल पर पुनर्विचार करने के जिला मजिस्ट्रेट के कानूनी अधिकार को पूर्वाग्रह से ग्रस्त करने के लिए नहीं समझा जा सकता है (याचिकाकर्ता को प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण बताने का ऐसा और मौका देने के बाद जो मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हो सकता है); यदि जिलाधिकारी इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाना आवश्यक समझते हैं।

(पंद्रह) मामले की परिस्थितियों में पार्टियों को अपनी लागत को खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

> अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग

नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

> शैली नैन, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, पानीपत, हरियाणा